न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र संः–604 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010043312026

रामप्रताप सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह। सा0मौ0–करनेहुंवा, थाना–चन्दवक, जिला–जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–21 / 2026
धारा–318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), बी0एन0एस0 एवं
धारा–66सी व 66डी आई0टी0 एक्ट।
थाना–साइबर क्राइम, जिला जौनपुर।

09.06.2026

आवेदक / अभियुक्त रामप्रताप सिंह के द्वारा मु0अ0सं0–21 / 2026, धारा–318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), बी0एन0एस0 एवं धारा–66सी व 66डी आई0टी0 एक्ट, थाना–साइबर क्राइम, जिला–जौनपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 01.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक महेशपाल सिंह मय हमराहियान के साथ के साथ रवाना शुदा थाना हाजा से रपट सं0 10 समय 14.30 बजे रवाना होकर उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेश–निर्देश के क्रम में पता चला कि जनपद जौनपुर में साइबर फ्रॉड करने वाले कुछ व्यक्ति गिरोह बनाकर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। उक्त सूचना के क्रम में पतारसी सुरागरसी करते हुए पूर्व में मुखबिर खास को लगाया गया था। मुखबिर खास द्वारा बताया गया था कि खाता सं0– 1351020000001124 आई0एफ0एस0सी0 कोड यू0टी0के0एस0 0001351 जिसके धारक कृष्णा सिंह व कृष्णा के बहनोई रामप्रताप सिंह मिलकर साइबर गैंग चलाते हैं। लोगों से रूपयों की ठगी करते है। उक्त सूचना पर विश्वास करके पुलिस पोर्टल व सर्विलांस के माध्यम से जांच किया गया तो उक्त व्यक्तियों की संलिप्तता साइबर फ्रॉड में पायी गयी थी। मुखबिर के बताये खाते व मोबाईल को पुलिस पोर्टल / एन0सी0आर0पी0 पोर्टल / समन्वय पोर्टल व इलेक्ट्रानिक सर्विलांस पर जांच के उपरान्त खाताधारक कृष्णा सिंह के विरूद्ध 42 शिकायतें विभिन्न राज्यों में दर्ज है। मुखबिर खास जफराबाद रेलवे क्रांसिंग पर मिला और बताया कि उक्त दोनों व्यक्ति बनारस आफिस में मौजूद है। उक्त सूचना पर विश्वास करके उसके बताये स्थान पर मय पुलिस बल पहुंचा तो पता चला कि उक्त दोनों व्यक्ति कुछ सामान लेकर अपने गांव के लिये निकले है। आज दिनांक 02.05. 2026 को समय लगभग 18.25 बजे मुखबिर खास सिरकोनी बाजार में मिला और बताया कि उक्त दोनों साइबर ठग मड़ियाहूं बाईपास पर कही जाने के लिये वाहन का इन्तजार कर रहे है। सूचना पर विश्वास करके उक्त बताये गये स्थान पर पहुंचे। पुलिस वालों ने एकाएक घेराबंदी करके मड़ियाहूं बाईपास पुल के पास मड़ियाहूं जाने वाले रोड के बायें तरफ दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया व बारी बारी से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम कृष्णा सिंह बताया जिसके कब्जे से तीन अदद लैपटाप, एक अदद एड्रायड फोन, बायीं जेब से कूटरचित तीन अदद आधार कार्ड बरामद किये गये। फर्जी आधार कार्ड के बारे में पूछने पर बताया कि वह

और उसका जीजा रामप्रताप सिंह मिलकर साइबर फ्रॉड करते है। अभी तक साइबर फ्रॉड से लगभग 50 लाख रूपये कमा लिये है। घर पर भी बैठकर साइबर फ्रॉड कर लेते है। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रामप्रताप सिंह बताया। उसके कब्जे से दो अदद लैपटाप एक मोबाईल व बायी जेब से कूटरचित दो अदद आधार कार्ड बरामद किया गया। फर्जी आधार कार्ड के बारे में पूछने पर बताया कि वह और उसका साला कृष्णा सिंह मिलकर साइबर फ्रॉड करते है। अभी तक साइबर फ्रॉड से लगभग 50 लाख रूपये कमा लिये है। घर पर भी बैठकर साइबर फ्रॉड कर लेते है। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक मेन्टीनेन्स होम सर्विस का व्यवसाय वाराणसी में करता है जिसका जी0एस0टी0 जमा करता चला आ रहा है। आवेदक ने अपने कार्यालय में 3 लैपटाप, 2 मोबाईल अपने व्यवसाय हेतु रखा था जिसे दिनांक 02.05.2026 को आवेदक के दुकान पर पुलिस वालों द्वारा अपने कब्जे में लेकर आवेदक को भी यह कहकर अपने साथ जौनपुर लेकर आयी कि आपसे साइबर ठगी के सम्बन्ध में पूछताछ करनी है। आवेदक को जौनपुर लाकर उक्त मुकदमें में गलत ढंग से फंसा दिया गया है। आवेदक के कब्जे से कोई भी अवैध आधार कार्ड बरामद नहीं हुआ है। लैपटाप व मोबाईल आवेदक का खुद का है जो आवेदक के वाराणसी स्थित कार्यालय से पुलिस इलाका द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है, आवेदक के कार्यालय के सामने पेट्रोल पम्प है जिस पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा है, जिसमें पुलिस इलाका द्वारा आवेदक को उसके कार्यालय से अपने साथ ले जाने का फुटेज पेट्रोल पम्प के सी0सी0टी0वी0 कैमरे में उपलब्ध है। आवेदक की गिरफ्तारी और बरामदगी का कोई विडियोग्राफी नहीं की गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बनाया गया है। आवेदक के विरूद्ध आई0टी0एक्ट का भी कोई अपराध निर्मित नहीं होता है क्योंकि आवेदक द्वारा कम्प्यूटर मोबाईल व इन्टरनेट जैसे संचार साधनों द्वारा प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करने का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक को सहअभियुक्त कृष्णा सिंह का बहनोई होने के कारण तथा उसका पार्टनर होने के कारण वादी मुकदमा ने आवेदक को रंजिशन नामजद किया है, जबकि आवेदक के किसी भी बैंक एकाउण्ट में कोई रूपया नहीं आया है जो बैंक खाता बताया गया है वह बैंक खाता आवेदक का नहीं है। आवेदक के विरूद्ध सहअभियुक्त कृष्णा के संक्षेपित बयान के आधार पर साइबर फ्रॉड करने का आरोप लगाया गया है जबकि कही से भी आवेदक का साइबर फ्रॉड में कोई लिंक नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), जौनपुर ने जमानत का प्रबल विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर साइबर गैंग चलाने तथा फर्जी व कूटरचित आधार बनाकर लोगों से रूपयों की ठगी करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी पुष्टि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0 में की गयी है। केस डायरी के पर्चा नं01 में अभियुक्तगण के खातों का एन0सी0आर0पी0 पोर्टल के माध्यम से चेक

करने का अंकन किया गया, जिसमें पता चला कि खाता सं0–1351020000001124 आई0एफ0एस0सी0 कोड–यू0टी0के0एस0 0001351 खाता धारक कृष्णा सिंह उर्फ लकी सिंह के विरूद्ध एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में कुल 42 शिकायतें दर्ज है। खाता सं0–628301545015 आई0एफ0एस0सी0 कोड–आई0सी0आई0सी0 0006283 खाता धारक रामप्रताप सिंह के विरूद्ध एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में कुल 13 शिकायतें दर्ज है तथा रामप्रताप सिंह के दूसरे खाता सं0–8912277794 आई0एफ0एस0सी0 कोड–के0के0बी0के0 0000649 के विरूद्ध एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में कुल 3 शिकायतें दर्ज है तथा खाता सं0–1009017398513781 आई0एफ0एस0सी0 कोड–यू0टी0के0एस0 0001009 खाता धारक सुन्दरम दुबे के विरूद्ध एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर विभिन्न राज्यों में कुल 3 शिकायतें दर्ज है। उपरोक्त सभी मुकदमों की छायाप्रति केस डायरी में संलग्न की गयी है।

मामले में विवेचना प्रचलित है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर छल, कपट व बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुए कूटरचित व फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके बैंक में बैक खाता व सिम लेने में प्रयोग करते हुए लैपटाप व मोबाईल के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी जैसा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित करने का अंकन किया गया है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त को साइबर ठगी जैसे गम्भीर अपराध कारित करने का अभ्यस्त अपराधी होने का भी कथन किया गया है। अतः ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान किये जाने की स्थिति में अभियुक्त के द्वारा पुनः अपराध कारित किये जाने की प्रबल सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त रामप्रताप सिंह के द्वारा मु0अ0सं0–21/2026, धारा–318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), बी0एन0एस0 एवं धारा–66सी व 66डी आई0टी0 एक्ट, थाना–साइबर क्राइम, जिला–जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक–09.06.2026</u>
नितिन कुमार/–

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।